

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड हनुमानगढ कैम्प गोगामेडी
क्रमांक- एफ ()लेखा/देव/गोगा./2016/ 1089 दिनांक- 30-8-2016

मंदिर श्रीगोगाजी गोगामेडी की अस्थाई दुकानों की मेला अवधि के बाद हेतु

खुली बोली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी की मेले के पश्चात् दिनांक 21.09.2016 से 31 जुलाई 2017 तक के लिए व्यापार करने के लिये दुकानों हेतु अस्थाई भूखण्ड किराये पर देने हेतु खुली बोली मुकाम गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान) पर दिनांक 14.09.2016 को 11.00 से सांय 5.00 बजे तक की जावेगी । जो महानुभाव उक्त अवधि हेतु भूखण्ड किराये पर लेना चाहते है वे मौके पर उपस्थित होकर फोटो युक्त पहचान-पत्र एवं पेन नम्बर की फोटो प्रति एवं धरोहर राशि 10,000/- रुपये प्रति व्यवसायिक भूखण्ड जमा करवाकर बोली दे सकते है । अन्तिम बोलीदाता को पूरी किराया राशि बिना शर्त उसी समय जमा करानी होगी अन्यथा बोली निरस्त की जाकर धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। खुली बोली की शर्तें कार्यालय में तथा बोली स्थल पर देखी जा सकती है। उक्त नीलामी सूचना SPP Portal पर व विभागीय वैबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। सभी भूखण्डों की उक्त निर्धारित दिनांक को यदि बोली नहीं लगती है तो खुली बोली आगामी दिन भी जारी रहेगी। यदि निर्धारित दिनांक को कोई अवकाश होता है तो खुली बोली आगामी दिन की जावेगी।

(ओ.पी.पासीवाल)

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
हनुमानगढ

क्रमांक- एफ ()लेखा/देव/गोगा./2016/ 1090-1111

दिनांक- 30-8-2016

प्रतिलिपि- अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न नीलामी सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने तथा नियत दिनांक 14.09.2016को होने वाली नीलामी में आपका प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करावें
2. श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रतिनिधी भिजवाने हेतु प्रेषित है।
2. श्रीमान उपायुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर ।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर/भादरा ।
4. श्रीमान कोषाधिकारी हनुमानगढ ।
5. श्रीमान प्रधान पंचायत समिति नोहर।
6. सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड प्रथम प्रधान कार्यालय उदयपुर।
7. समस्त कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर (प्रथम) (द्वितीय)/ बीकानेर/ जोधपुर/ कोटा/ अजमेर/ उदयपुर/ वृन्दावन/ ऋषभदेव/ भरतपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
8. तहसीलदार (राजस्व) नोहर/भादरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
9. सरपंच, ग्राम पंचायत गोगामेडी को सूचनार्थ ।
10. निरीक्षक देवस्थान गोगामेडी
- 11- मैनेजर, मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, खण्ड हनुमानगढ